

न्यायालय :- पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.
(आप.प्रक.क्रमांक :- 303 / 2015)
(संस्थित दिनांक :- 27 / 05 / 2015)

म.प्र. राज्य,
 द्वारा आरक्षी केन्द्र :- एण्डोरी
 जिला-भिण्ड., म.प्र.

..... अभियोजन

// विरुद्ध //

01. नारायण सिंह जाटव पुत्र विद्याराम जाटव उम्र 54 वर्ष।
 02. बनवारीलाल जाटव पुत्र प्रभुदयाल जाटव उम्र 52 वर्ष।
 03. मनोज जाटव पुत्र विजय सिंह जाटव उम्र 26 वर्ष।
 04. बलवीर जाटव पुत्र विजय सिंह जाटव उम्र 32 वर्ष।
- निवासीगण-ग्राम पटकुईयां का पुरा, थाना-एण्डोरी, जिला-भिण्ड, (म.प्र.)
 अभियुक्तगण।

// निर्णय //

(आज दिनांक : 03 / 05 / 2017 को घोषित)

01. अभियुक्तगण नारायण सिंह, बनवारीलाल, मनोज एवं बलवीर पर भा.द.सं. की धारा 294, 323 / 34, 324 / 34 एवं 506 भाग II के अन्तर्गत आरोप हैं कि आरोपीगण ने दिनांक :- 22 / 05 / 2015 को शाम लगभग 06:30 बजे फरियादी मुकेश के घर के सामने स्थित ग्राम पटकुईया का पुरा में, जो कि लोकस्थान के पास समीप एक स्थान है, पर फरियादी मुकेश को माँ-बहन की अश्लील गालियों देकर क्षोभ कारित किया, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी मुकेश की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी मुकेश को दाँतों से काटकर एवं लात-घूसों से मारपीट कर उसे स्वेच्छयाँ उपहतियाँ कारित की एवं फरियादी मुकेश को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

02. प्रकरण में उभय पक्ष के मध्य राजीनामा हो जाना सारवान निर्विवादित एक तथ्य है।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :- 22 / 05 / 2015 को शाम लगभग 06:30 बजे फरियादी मुकेश के घर के सामने स्थित ग्राम पटकुईया का पुरा में, आरोपीगण द्वारा फरियादी मुकेश से गाली-गलौच करने, उसको दाँतों से काटने एवं लात-घूसों मारपीट करने तथा जान से मारने की धमकी देने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी मुकेश द्वारा उसी दिनांक को थाना एण्डोरी पर की जाने पर,

थाना एण्डोरी में आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 60/2015 अन्तर्गत धारा 294, 323 एवं 506 भाग।। सहपठित धारा 34 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। फरियादी मुकेश जाटव एवं साक्षी महेन्द्र जाटव के कथन लेखबद्ध किये गये तथा विवेचना पूर्णकर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04. अभियुक्तगण नारायण सिंह, बनवारीलाल, मनोज एवं बलवीर के विरुद्ध धारा 294, 323/34, 324/34, 506 भाग।। भा.द.सं. का आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया। आरोपीगण का अभिवाक् अंकित किया गया। आरोपीगण एवं फरियादी/आहत के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण अभियुक्तगण को धारा 294, 323/34 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है।

05. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है:-

01. क्या आरोपीगण ने दिनांक : 22/05/2015 को शाम लगभग 06:30 बजे फरियादी मुकेश के घर के सामने स्थित ग्राम पटकुईया का पुरा में, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी मुकेश की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी मुकेश को दाँतों से काटकर उसे स्वेच्छयों उपहतियों कारित की?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष

06. फरियादी मुकेश अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपीगण नारायण सिंह, बनवारीलाल, मनोज एवं बलवीर को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 27/03/2017 से लगभग दो साल पहले की शाम छः-सात बजे की पटकुईया पुरा स्थित उसके घर के सामने की है। साक्षी आगे कहता है कि उस समय आरोपीगण ने उसकी लात-घूसों से मारपीट कर, उसे माँ-बहिन की गालियाँ दी थी एवं जान से मारने की धमकी दी थी। जिसकी रिपोर्ट उसने पुलिस थाना एण्डोरी में की थी, जो प्र.पी.01 है, जिस पर उसकी अंगूठा निशानी है। पुलिस ने इस संबंध में घटनास्थल का मौका-नक्शा प्र.पी.02 बनाया था, जिस पर उसकी अंगूठा निशानी है। पुलिस ने उसका बयान लिया था। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी फरियादी मुकेश अ.सा.01 ने आरोपीगण द्वारा दिनांक :- 22/05/2015 को शाम लगभग 06:30 बजे दाँतों से काटकर उसे स्वेच्छयों उपहति कारित करने का तथ्य नहीं बताया है और इस वावत् अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है। इस वावत् फरियादी मुकेश अ.सा.01 की न्यायालयीन अभिसाक्ष्य तथा उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 एवं उसके पुलिस कथन प्र. पी.03 के तथ्यों के मध्य ऐसे लोप है, जो विरोधाभास की प्रकृति के है।

07. आरोपीगण एवं फरियादी मुकेश के मध्य राजीनामा हो जाने का तथ्य अभिलेख में है और फरियादी मुकेश अ.सा.01 के न्यायायलीन अभिसाक्ष्य में भी आया है।

08. अभियोजन द्वारा इस बावत कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह प्रकट होता हो कि आरोपीगण ने दिनांक :- 22/05/2015 को शाम लगभग 06:30 बजे फरियादी मुकेश के घर के सामने स्थित ग्राम पटकुईया का पुरा में, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी मुकेश की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी मुकेश को दाँतों से काटकर उसे स्वेच्छयाँ उपहतियाँ कारित की।

09. अभियोजन आरोपीगण नारायण सिंह, बनवारीलाल, मनोज एवं बलवीर के विरुद्ध धारा 324/34 भा.द.सं का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः अभियुक्तगण को धारा 324/34 भा.द.सं. के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त कर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।

10. अभियुक्तगण की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद